(नियम—20)

वादी उपखण्ड अधिकारी मुकाम कोटपुतली

गणेश राम बनाम धापीलाल वगै

मुकदमा अन्तर्गत नं 402 सन 2013

	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
13	रिकोर्ड हाजिरा पेश। पेशावली दिया हुई फर्द शजरे के पास। दोनो पक्षो मुआयनीक आदी हो। पेशावली दि. 23-12-13 के दर्ज	उपखण्ड अधिकारी कोटपुतली (सीकर)
23/12/13	वकील वादी हाजर। मुआयनी फर्द 3 वाकइ तारीख मजु। बाद बाट आवाज दिलाई गई जिसमे वाकइ कोई उपस्थित नही। अतः मुआयनी फर्द 3 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही मुताबिक में कार्ड जारी हो मुआयनी फर्द 2 कि कोर्ट से एक आमिल पक्ष श्री धापीलाल वगैरा एक ने पेश किया असल वकील वादी को दिलाई गई। पेशावली वास्ते जवाब दावा मुआयनी फर्द के तारिख आइंदा हेतु दिनांक 31/1/14 को पेश हो	
31/1/14	वकुलाये उभय पक्ष आपसे बहस हुआ पत्रावली दिनांक 15-4-14 को पेश हो	
15/4/14	वकुलाय उभय पक्ष उपस्थित बहस हुई गयी तथा अभिलेख T-1 पर गये उभय पक्षो को सुना गया। वास्ते आदेश	

पत्रावली पेश हुई। कानूनी औपचारिकता P.O. साहिब द्वारा कार्यों में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 23/1/14 को पेश हो। अतः आज पेश असल दिलाईराम आमिल वापिस गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.07.16 16:38:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

30/1/14 को पेश हुई।

30/1/14 पत्रावली पेश हुई। वास्तुलाय उभय पक्ष उप०। दौराने बहस वकील प्रार्थी दुर्गा प्रसाद का कथन है कि अनेदक गणेशराम ने विवादित भूमि पर अपना कब्जा बताकर खातेदारी धोका हेतु तथ्यों छुपाकर दावा व प्रा०पत्र पेश किया है। भूमि अनुसूचित जाति की है जो कानून किसी भी स्वर्ण जाति के व्यक्ति के नाम नहीं हो सकती। अनेदक ने इन्हीं तथ्यों को लेकर न्यायालय अपर जिला सैशन न्यायाधीश नीमकाथाना में वाद व प्रा०पत्र पेश कर रखा है जो पूर्व से ही विचाराधीन है। अतः प्रा०पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा कानून चलने योग्य नहीं है। अतः प्रा०पत्र खारीज किया जावे।

दौराने बहस वकील गणेशराम का कथन है कि हमारा कब्जा विवादित भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से चला आ रहा है एवं वर्तमान में भी हमारा कब्जा है। गिरदावरी सम्वत 2012 से पेश की है जिसमें हमारी काश्त दर्ज है। लाडूराम कानगमुकि में गलत रूप से आ गया जिसके सम्बंध में उसने तिजवर लिखी है। अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि स्वर्ण जाति को विक्रय होने का प्रतिबंध [illegible]-1964 को लगा था जबकि हमारा [illegible] 2012 के पहले से चला आ रहा है। घोषणा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.05.16 16:38:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

का वाद सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को ही है। प्रा० पत्र प्रदाण को देखना पड़ने की गर्ज से पेश किया गया है जिसे खारीज किया जावे एवं प्रार्थीगण को दी० आई० से पाबन्द किया जावे। दोनों बहस के 2011 (1) RRT पेज 436, 2012 (1) RRT पेज 329, 2012 (2) RRT पेज 1179, 2013 (2) RRT पेज 924, 2013 (2) RRT पेज 936, 2013 (2) RRT पेज 1183 नजीरे पेश की।

हमने उभय पक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व प्रस्तुत नजीरो का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा दावा व प्रा०पत्र उद्घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है जो खातेदारी भूमि है जिसमें सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को है। जहाँ तक अनुसुचित जाति की भूमि स्वर्ण जाति के गाम होने व नही होने का प्रश्न है यह तथ्य तो बाद एविडेन्स मुखकुल पर मूल वाद में ही तय होगे। अतः प्रार्थी/अप्रार्थीगण सं. 2 द्वारा प्रस्तुत प्रा०पत्र द्वारा 151 CPC में वर्णित प्रावधानो की परिधी में नही आता है। अतः प्रा०पत्र 151 CPC खारीज किया जाता है। तथा अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरीम अस्थाई निषेधाज्ञा जवाब प्रस्तुत करने तक पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी ख० न० 193 रकबा 1.[illegible] स्थित ग्राम निमोद तहसील [illegible] खाना व [illegible] व विक्री की यथास्थिति बनाये रखे। आदेश पत्रावली वास्ते तामील अप्रार्थी सं. 1 व जवाब अप्रार्थी सं. 2 हेतु दिनांक 5/3/14 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.07.16 16:38:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

(नियम 26)

अदालत ..... मुकाम .....

बनाम ..... वर्ष .....

किस्म मुकदमा ..... नम्बर .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/6/23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित I.P.O. साहब ड्यूटि पर हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 18/8/23 को पेश हो।	
18/8/23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्त है पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 8/11/23 को पेश हो।	
8/11/23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप। P.O. साहब चुनाव कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली पूर्वआदेशानुसार दिनांक 19/1/24 को पेश हो।	
19/1/24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभ। वास्ते हेतु ज: अवात चाही। अग्रिम अवात दिया जाता है वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 30/4/24 को पेश हो।	
7/3/24	पत्रावली प्रार्थी व विपक्षी प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र मिलाल तलबी व प्रार्थना पत्र विरुद्ध किये जाने के [illegible] तलब होकर पेश हुई [illegible] ने निवेदन किया [illegible] राजीनामा हो गया है उक्त मुकदमा [illegible] रहा है इसलिये प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।	

—लगातार—

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.07.16 16:38:28 IST
Reason: SelfAttested

I.P. अधिवक्ता
2015

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

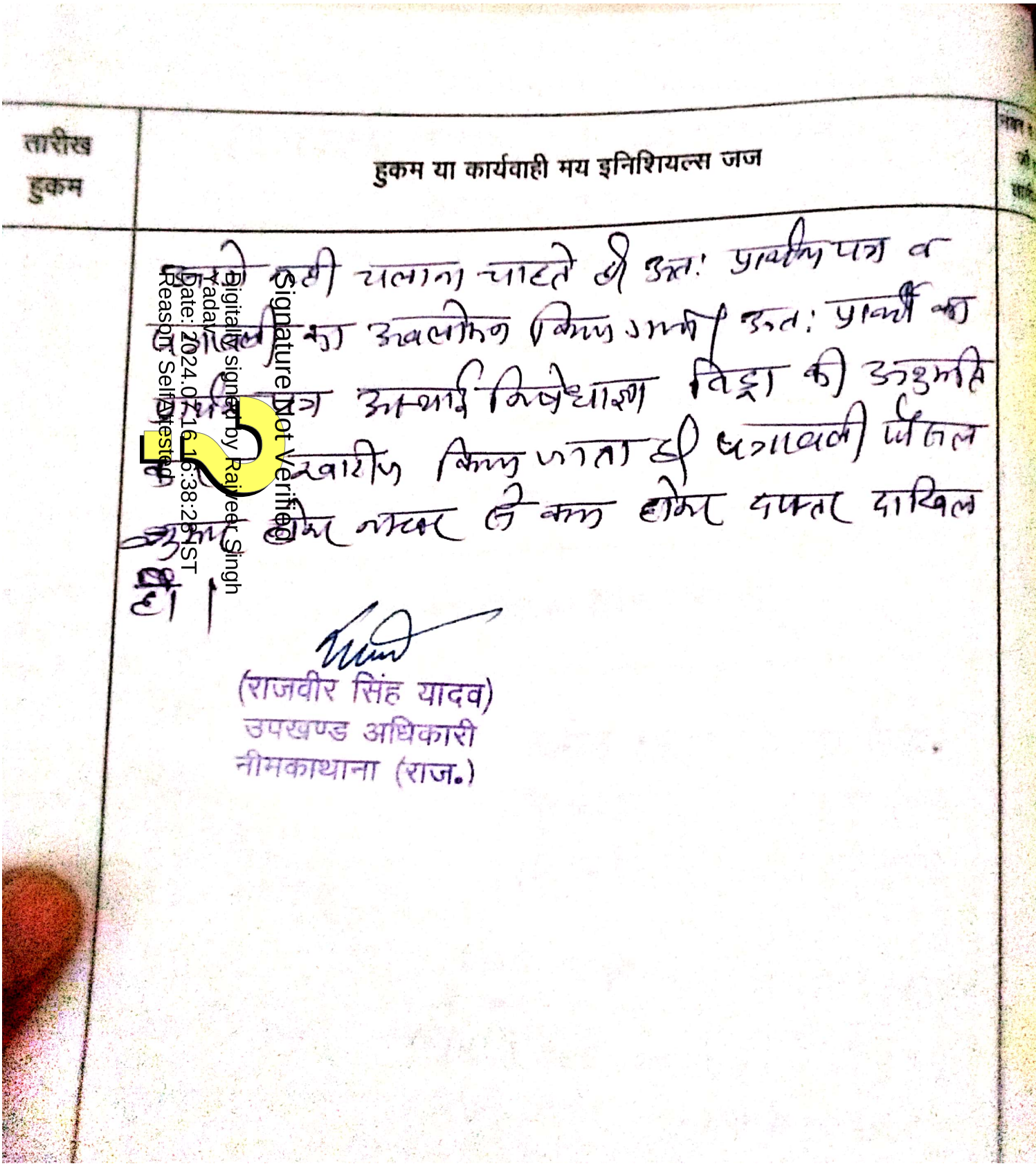

करने की चलाना चाहते हो उक्त: प्रार्थना पत्र व
दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उक्त: प्रार्थी का
प्रार्थना पत्र आवश्यक निषेधाज्ञा विड्रा की अनुमति
के स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी पक्ष को
अग्रिम नोटिस जारी कर के केस होने तक दाखिल
दफ्तर।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.07.16 16:38:28 IST
Reason: SelfAttested
Signature Not Verified

Scanned with OKEN Scanner